इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 367] भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 अगस्त 2014—श्रावण 29, शक 1936

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 217, बुधवार, दिनांक 28 मई 2014 में संशोधन]

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

''निर्वाचन भवन''

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 28 मई 2014

क्र. एफ-70-31-2014-तीन-1036.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य क तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 24-क(1) (पांच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा नगरपालिका (नगरपालिक निगम/ नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद्) में स्थान/ स्थानों को भरने के निर्वाचन में नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र के संबंध में निम्न निर्देश देता है:—

1. नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् तथा नगर परिषद् के महापौर/ अध्यक्ष तथा पार्षद पद का प्रत्येक अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि, आस्तियों, दायित्वों, शैक्षणिक योग्यताओं आदि की जानकारी दी जावेगी. इस शपथ-पत्र का प्ररूप इस आदेश के साथ संलग्न अनुलग्नक के अनुसार होगा.

2. अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र का प्रत्येक कालम भरा जायेगा. यदि किसी कॉलम की जानकारी निरंक है तो उस कॉलम में ''निरंक'' शब्द अंकित किया जायेगा. रिटर्निंग आफिसर को यह जांच करनी होगी कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल करते समय शपथ-पत्र के सभी कॉलम भरे गए हैं या नहीं. यदि नहीं तो रिटर्निंग आफिसर अभ्यर्थी को रिक्त कॉलम भरने के लिए स्मरण करायेंगे. अभ्यर्थी द्वारा किसी भी कॉलम को रिक्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए. स्मरण कराने के पश्चात् भी यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी स्तंभ को भरने में असफल होता है तो नामांकन पत्र की जांच/ संवीक्षा के समय रिटर्निंग आफिसर द्वारा नामांकन पत्र खारिज किया जायेगा.

3. उक्त शपथ-पत्र निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जायेगा, अभ्यर्थी द्वारा सत्यापित किया जायेगा और मजिस्ट्रेट/ शपथ आयुक्त/ नोटरी के समक्ष शपथित होगा.

4. अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन-पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र की दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रतियां भी प्रस्तुत की जायेंगी.

5. उक्त शपथ-पत्र न दिये जाने की स्थिति में रिटर्निंग आफिसर द्वारा नाम निर्देशन-पत्र निरस्त किया जावेगा.

6. अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र की एक प्रति रिटर्निंग आफिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जावेगी और मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जायेगी. तथा जरूरत पड़ने पर आयोग भी प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी से ले सकेगा.

7. किसी निर्वाचक द्वारा मांग किए जाने पर शपथ-पत्र की प्रमाणित प्रति एक रुपया प्रति पृष्ठ के मूल्य पर प्रदाय की जायेगी.

8. यदि कोई निर्वाचक किसी अभ्यर्थी के शपथ-पत्र में दी गई जानकारी के विरुद्ध शपथ-पत्र प्रस्तुत करता है तो उसकी प्रति भी रिटर्निंग आफिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जावेगी.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अनुलग्नक

नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र
देखिये नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 नियम-24-क(1)(पांच) (संशोधित)

कृपया अपना नवीनतम फोटो यहां चस्पा करें

नगरपालिक निगम/ नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद् ..... के

महापौर / अध्यक्ष / पार्षद वार्ड क्रमांक . . . . . के निर्वाचन के लिये.

भाग-क

मैं, पुत्र / पुत्री/ पत्नी . . . . . आयु . . . वर्ष, जो . . . . . .(डाक का पूरा पता लिखें) का/ की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/ करती हूं, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/ करती हूं : —

(1) मैं, ... (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं.

(जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम ..... (नगरपालिक निगम / नगरपालिका परिषद् / नगर परिषद्) में वार्ड क्रमांक . . . . एवं भाग सं. . . . के क्रम सं. . . . . पर प्रविष्ट है.

(3) मेरा संपर्क दूरभाष/ मोबाइल नं. . . . . है/ हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) . . . . . है. और मेरा सोशल मीडिया खाता (यदि कोई) है . . . . . .
. . . . . .

(4) स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाईल करने की स्थिति :

क्रम संख्या	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है.	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
1.	स्वयं			
2.	पति या पत्नी			
3.	आश्रित-1			
4.	आश्रित-2			
5.	आश्रित-3			

(5) मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/ की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं.

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/ की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/ करेगी :—

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं.

(क)	मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/ जिला / राज्य के पूर्ण ब्यौरे.	
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की (धारा धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है.	
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/ हैं.	

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न :—

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख.	
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है.	
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे.	

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है.

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है.

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है.	
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें).	
(ग)	अधिरोपित दंड	
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है. यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति.	

(7) मैं, मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे देता हूं :—

अ. **जंगम आस्तियों के ब्यौरे :**

टिप्पणी 1—संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण लिया जाना है.

टिप्पणी 2—जमा/विनिधान की दशा में क्र सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं.

टिप्पणी 3—सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए.

टिप्पणी 4—यहां आश्रित का वही अर्थ है जो मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 24क एवं स्पष्टीकरण :— इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए—(पांच) के परिभाषित के अधीन स्पष्टीकरण.

टिप्पणी 5—रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं.

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी					
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा के रकम.					
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम.					
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक, बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम.					
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी न्यास आदि को दिए गए व्यक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम.					
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम).					
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यदान वस्तु (वस्तुएं) व भार और मूल्य के ब्यौरे.					
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य.					
(ix)	समग्र कुल मूल्य					

ख. **स्थावर आस्तियों के ब्यौरे :**

टिप्पणी 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है.

टिप्पणी 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए.

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितयां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं).					
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं).					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख.					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में).					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान.					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितयां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं).					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं).					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख.					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में).					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान.					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां)					
	सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं).					
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख.					
(iv)	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में).					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान.					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं).					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट मे कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं).					
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख.					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में).					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान.					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)					
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य.					

(8) मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूं :—

टिप्पणी—कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक् विवरण

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य. बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति.					
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य.					
	नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति.					
	कोई अन्य दायित्व					
	दायित्वों का कुल योग					
(ii)	सरकारी शोध्य :					
	सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य.					
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य.					
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य.					
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य.					
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलीकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य.					
	आय-कर शोध्य					
	धनकर शोध्य					
	सेवाकर शोध्य					
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य					
	विक्रयकर शोध्य					
	कोई अन्य शोध्य					
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग					
(vi)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन हैं, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें.					

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं . . . . . .

(ख) पति या पत्नी . . . . . .

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :—

. . . . . .

(प्रमाण-पत्र /डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण विवरण का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें).

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिये गये ब्यौरों का उद्धरण

1.		अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु.	
2.		डाक का पूरा पता		
3.		नगरीय निकाय का नाम-जिला का नाम		
4.		उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है. (अन्यथा स्वतंत्र लिखें.)		
5.		(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं.		
		(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न.		
6.		ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दण्डित किया गया है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए.		
7.		. . . . . का स्थायी लेखा सं.	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है.	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी			
	(ख) पति या पत्नी			
	(ग) आश्रित			

8.		आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)					
क्रम संख्या		विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.		जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)					
ख.		स्थावर आस्तियां					
	I	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत					
	II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो).					
	III	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत (क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)					
9		दायित्व					
	I	सरकारी शोध्य (कुल)					
	II	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					
10		ऐसे दायित्व जो विवादधीन हैं.					
	I	सरकारी शोध्य (कुल)					
	II	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					
11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता : प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था का ब्यौरा दें.					

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथ-पत्र की विषय वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है. मैं यह और घोषणा करता हूं कि :—

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धी का मामला या लंबित मामले में भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है.

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की दर 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है.

आज तारीख . . . . . को सत्यापित किया गया. अभिसाक्षी

टिप्पणी 1—शपथ पत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए.

टिप्पणी 2—सभी स्तम्भों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तम्भ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू" नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए.

टिप्पणी 3—शपथ-पत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए.

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 265, भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 जुलाई 2014 में संशोधन]

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462 001

आदेश

भोपाल, दिनांक 03 जुलाई 2014

क्र. एफ-57-01-2014-तीन-न.पा.-221.—मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राज्य निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, नगरपालिकाओं के निर्वाचन के लिए निम्नांकित मुक्त निर्वाचन प्रतीक विहित करता है, अर्थात्:—

(1) नगरपालिक निगम के महापौर या नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष या नगर परिषद् के अध्यक्ष के लिए. — संलग्न सूची के भाग—1 में उल्लिखित प्रतीक

(2) नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के पार्षद के लिए. — संलग्न सूची के भाग—2 में उल्लिखित प्रतीक

2. आयोग द्वारा विहित उपरोक्त मुक्त निर्वाचन प्रतीक, उन प्रतीकों के अतिरिक्त होंगे जो, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित है.

3. इस विषय के संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-57-01-2009-तीन-1035, दिनांक 13 अक्टूबर, 2009 एतद्द्वारा निरस्त की जाती है.

संलग्नः—सूची भाग—1 एवं भाग—2.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

सूची

भाग 1—महापौर/अध्यक्ष के लिये विहित मुक्त निर्वाचन प्रतीक

क्रमांक (1)	प्रतीक (2)
1.	नल
2.	चाबी
3.	टेबल पंखा
4.	गुब्बारा
5.	स्लेट
6.	बिजली का स्विच
7.	कांच का गिलास
8.	रेडियो
9.	खम्भे पर ट्यूब लाईट
10.	स्टूल
11.	गैस बत्ती
12.	रोड रोलर
13.	बस
14.	सीटी
15.	प्रेशर कुकर
16.	टेबल लैंप
17.	बल्लेबाज
18.	मटका
19.	गाड़ी
20.	बैटरी-टॉर्च
21.	सूरजमुखी
22.	गेहूँ की बाली
23.	सब्जियों की टोकनी
24.	हार
25.	अंगूठी
26.	बैंच
27.	गैस सिलेन्डर
28.	पीपल का पत्ता
29.	हारमोनियम
30.	हस्तचलित पम्प
31.	हाथ चक्की
32.	डबल रोटी
33.	मेज
34.	ब्रीफ केस
35.	मोमबत्तियां
36.	गैस स्टोव
37.	दरवाजा
38.	ब्रुश
39.	बल्ला
40.	जग
41.	वायलिन
42.	बेलन

हस्ता/-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

सूची

भाग 2— पार्षद के लिये विहित मुक्त निर्वाचन प्रतीक

क्रमांक (1)	प्रतीक (2)
1.	केक
2.	कैमरा
3.	गाजर
4.	पतंग
5.	कोट
6.	टेंट
7.	छत का पंखा
8.	चारपाई
9.	सिलाई की मशीन
10.	नाव
11.	स्कूटर
12.	जीप
13.	ब्लैक बोर्ड
14.	टेलीफोन
15.	टेलीविजन
16.	कप और प्लेट
17.	बरगद का पेड़
18.	लेटर बाक्स (पत्र पेटी)
19.	अलमारी
20.	हाकी और गेंद
21.	डीजल पम्प
22.	दो तलवार और एक ढाल
23.	डोली
24.	फलों सहित नारियल का पेड़
25.	कैंची
26.	बाल्टी
27.	कमीज
28.	फ्राक
29.	केतली
30.	लेडी पर्स
31.	भोंपू
32.	सेव
33.	फसल काटता हुआ किसान
34.	प्रेस

हस्ता/-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

परिशिष्ट-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956

(धारा 16 तथा 17 का उद्धरण)

16. **महापौर या पार्षद् के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता :—**

(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसा कोई व्यक्ति जो नगरपालिक निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में नामांकित है,—

(क) यदि वह आयु में पच्चीस वर्ष से कम नहीं है महापौर के निर्वाचन हेतु, और

(ख) यदि वह आयु में इक्कीस वर्ष से कम नहीं है पार्षद् के निर्वाचन हेतु, अभ्यर्थी होने के लिए अर्ह होगा.

(2) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो किसी एक वार्ड के लिए अभ्यर्थी है, किसी अन्य वार्ड के लिए अभ्यर्थी नहीं होगा.

(3) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो महापौर या पार्षद न रहे, यदि उपधारा (1) के अधीन अर्ह है, उस रूप में पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा.

17. **महापौर या पार्षद् होने के लिए व्यापक निरर्हताएं.**—(1) कोई भी ऐसा व्यक्ति पार्षद् या महापौर नहीं होगा, जो—

(ए) (एक) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 153-क या धारा 171-ड. या धारा 171-च या धारा 505 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 22) के अधीन या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का सं. 43) की धारा 125 के अधीन या दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का सं. 28) की धारा 3 तथा 4 के अधीन या मध्यप्रदेश लोकल अथारिटीज (इलेक्टोरल आफेन्सेस) एक्ट, 1964 (क्रमांक 13 सन् 1964) की धारा 10 या धारा 11 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, जब तक कि दण्डादेश भुगतने के पश्चात् उसके छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि न बीत चुकी हो,

(दो) भारत के किसी न्यायालय द्वारा—

(क) उपखण्ड (एक) के अधीन न आने वाले किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो और दो वर्ष से अन्यून कालावधि के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया हो, या

(ख) मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 15 सन् 1984) के किन्ही उपबंधों के या जमाखोरी या मुनाफाखोरी के निवारण का या खाद्य या औषधि अपमिश्रण के निवारण का उपबंध करने वाली किसी विधि के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, जब तक कि दण्डादेश भुगतने के पश्चात् उसके छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि न बीत चुकी हो.

स्पष्टीकरण—इस खण्ड में,—

(क) जमाखोरी या मुनाफाखोरी के निवारण का उपबंध करने वाली विधि से अभिप्रेत है कोई विधि या विधि का बल रखने वाला कोई आदेश, नियम या अधिसूचना जिसमें—

(एक) किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण या विनियमन करने,

(दो) ऐसी कीमत को, जिस पर किसी आवश्यक वस्तु का क्रय या विक्रय किया जा सकेगा, नियंत्रित करने,

(तीन) किसी आवश्यक वस्तु के अर्जन, कब्जे, भण्डारकरण, परिवहन, वितरण, व्ययन, उपयोग या उपभोग का विनियमन करने,

(चार) साधारणत: विक्रय हेतु रखी गई किसी आवश्यक वस्तु को विक्रय से रोकने का प्रतिषेध करने का उपबंध है.

(ख) ''औषधि'' का वही अर्थ होगा जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का सं. 23) में उसके लिए दिया गया है,

(ग) ''आवश्यक वस्तु'' का वही अर्थ होगा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) में उसके लिए दिया गया है,

(घ) ''खाद्य'' का वही अर्थ होगा जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का सं. 37) में उसके लिए दिया गया है.

(ए-1) किसी निर्वाचन या नामनिर्दिष्ट की वैधता या नियमितता पर आपत्ति उठाने संबंधी कार्यवाही में किसी दूषित व्यवहार का दोषी पाया गया हो, जब तक कि निष्कर्ष के दिनांक से पांच वर्ष का काल व्यतीत न हो गया हो या धारा 441-ए के अधीन राज्य शासन द्वारा निरर्हता हटा न दी गई हो.

(बी) धारा 18 या 19 के अधीन पद से हटा दिया गया हो, जब तक कि वह इस प्रकार पद से हटाए जाने के कारण उत्पन्न निरर्हता से शासन द्वारा मुक्त न कर दिया गया हो,

(बी बी) पार्षद् के रूप में और आगे निर्वाचित किए जाने या नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिए धारा 17-ए के अधीन निरर्हित कर दिया गया हो, जब तक कि वह ऐसी निरर्हता से राज्य सरकार द्वारा मुक्त न कर दिया गया हो।

(सी) ऐसा असम्पन्न हो, जो भारमुक्त न हो,

(डी) विकृत चित हो और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो,

(ई) महापौर की दशा में पच्चीस वर्ष से कम आयु का हो और पार्षद की दशा में 21 वर्ष से कम आयु का हो,

(एफ) शासन या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में हो या शासकीय अभिभाषक हो,

(जी) स्वयं या अपने साझेदार द्वारा निगम की आज्ञा से किए जा रहे किसी कार्य में या निगम के साथ या अधीन या द्वारा या उसकी ओर से किए गये किसी अनुबन्ध या सेवा-नियुक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अंश या हित रखता हो—

स्पष्टीकरण—कोई व्यक्ति इस चरण के अधीन इस कारण से निरर्हित हुआ नहीं समझा जाएगा कि —

(अ) उसे शासकीय या नगरपालिक निवृत्ति वेतन मिल रहा है,

(आ) (1) उसका किसी पट्टे, विक्रय या भूमि के अन्तरण में,

(2) केवल धन के ऋण के लिए किसी ठहराव में या धन के भुगतान के लिए किसी प्रतिभूति में,

(3) संचालक या प्रबंध प्रतिनिधि या रजिस्ट्रीकृत सहकारी समिति के अतिरिक्त किसी संयुक्त समवाय में,

(4) निगम के किसी उपान्त को भाड़ेदार के रूप में अधिवासित करने में, कोई अंश या हित रखता है।

(एच) कदाचरण के आधार पर शासकीय या नगरपालिक सेवा से पदच्युत किया जा चुका हो जिसमें नैतिक अध: पतन सन्निहित हो,

(आई) जिसके नाम पर एक वर्ष से अधिक काल से कोई कर या प्राप्य धन, जो निगम को देय हो अवशिष्ट हो, या

(जे) जिसने मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 11 के अधीन उस पर आरोपित किए गए प्रभार की रकम का भुगतान उक्त अधिनियम की धारा 15 में विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर न किया हो,

(के) यदि वह राज्य की विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित है :

परन्तु कोई भी व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।

(2) **महापौर या पार्षद् बने रहने के लिए अयोग्यता.**—यदि कोई पार्षद् या महापौर ऐसी अवधि के भीतर, जिसके लिये वह (निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया हो)—

(ए) (एक) धारा 13 की उपधारा—(1) के अधीन निरर्हित हो जाता है तथा उसका नाम उस धारा की उपधारा (1-ए) के अधीन निर्वाचक नामावली में से काट दिया जाता है; या

(दो) इस धारा की उपधारा (1) के अधीन निरर्हित हो जाता है,

(बी) किसी ऐसे मामले में पार्षद् या महापौर के रूप में कार्य करे—

(एक) जिसमें वह स्वयं या अपने साझेदार द्वारा प्रत्यक्षत: या प्रत्यक्षत: कोई अंश या हित रखता हो, जैसा कि उपधारा (1) के चरण (ए) में वर्णित है; या

(दो) जिसमें वह किसी व्यवहारी, नियोक्ता या अन्य व्यक्ति की ओर से व्यवसाय रूप में हित रखता हो; या

(सी) निगम की अनुमति के अतिरिक्त अपने आप को निगम की बैठकों से लगातार छह मास तक अनुपस्थित रखे; या

(डी) किसी भी प्रकार के किन्हीं भी ऐसे अवशेषों का जो उसके द्वारा निगम को देय हो, इस संबंध में उस पर सूचना -पत्र के निर्वाह किए जाने के पश्चात् तीन मास के भीतर भुगतान न करे, तो वह उपधारा (3) के आदेशों के पालन के अधीन पार्षद् के रूप में बने रहने के अयोग्य होगा और उसका पद रिक्त हो जाएगा :

परन्तु उपधारा (1) के खण्ड (ए) के अधीन की कोई निरर्हता तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि दोषसिद्धि की तारीख से तीन मास न बीत चुके हों या उस कालावधि के भीतर दोषसिद्धि या दण्डादेश के संबंध में कोई अपील फाइल की जाती है, या पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन फाइल की जाती है, तो जब तक कि ऐसी अपील या आवेदन का निपटारा न्यायालय द्वारा नहीं कर दिया जाता है।

(3) **यह निर्णय करने की शक्ति कि क्या कोई रिक्ति हुई है.**— प्रत्येक प्रकरण में यह निर्णय देने के लिए कि क्या इस धारा के अधीन कोई स्थान रिक्त हुआ है सक्षम प्राधिकारी शासन होगा। यह निर्णय या तो किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र पर या स्वयं की प्रेरणा पर दिया जा सकेगा। जब तक शासन यह निर्णय न कर दे कि स्थान रिक्त हुआ है, वह पार्षद् या महापौर उपधारा (2) के अधीन पार्षद् या महापौर के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य नहीं होगा :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई भी आज्ञा किसी भी पार्षद् या महापौर के विरुद्ध उसे सुने जाने का यथोचित अवसर दिए बिना नहीं दी जाएगी ।

परिशिष्ट-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961

(धारा 34 तथा 35 का उद्धरण)

34. **अध्यक्ष या पार्षद् के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता.—**

(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसा कोई व्यक्ति जो नगरपालिक निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में नामांकित है :—

(क) यदि वह आयु में पच्चीस वर्ष से कम नहीं है अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु और—

(ख) यदि वह आयु में इक्कीस वर्ष से कम नहीं है पार्षद् के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होने के लिए अर्ह होगा.

(2) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो किसी एक वार्ड के लिए अभ्यर्थी है, किसी अन्य वार्ड के लिए अभ्यर्थी नहीं होगा.

(3) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो अध्यक्ष या पार्षद् न रहे यदि उपधारा (1) के अधीन अर्ह है, उस रूप में पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा.

35. **अभ्यर्थियों की निरर्हताएं.**—कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन या पार्षद् के रूप में निर्वाचन या नामनिर्देशन किया जाने का पात्र नहीं होगा, यदि वह—

(क) भारत का नागरिक नहीं है; या

(ख) सरकारी सेवक है और वेतन या मानदेय (जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत फीस या कमीशन नहीं है) के रूप में पारिश्रमिक पाता है; या

(ग) परिषद् के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में है; या

(घ) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित या न्याय निर्णीत किया जा चुका है; या

(घ घ) अध्यक्ष की दशा में आयु पच्चीस वर्ष से कम हो तथा पार्षदों की दशा में आयु इक्कीस वर्ष से कम हो;

(ङ) अनुमोचित दिवालिया है; या

(च) इस प्रकार के कुछ रोग से पीड़ित है जो संक्रामक है; या

(छ) भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा से पदच्युत कर दिया गया है और उसकी ऐसी पदच्युति से पांच वर्ष की कालावधि समाप्त नहीं हुई है; या

(एच) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 153-क या धारा 171-ङ या धारा 171-च या धारा 505 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 22) के अधीन या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का सं. 43) की धारा 125 के अधीन या दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का सं. 28) की धारा 3 तथा 4 के अधीन या मध्यप्रदेश लोकल अथारिटीज (एलेक्टोरल आफेन्सेज) एक्ट, 1964 (क्रमांक 13 सन् 1964) की धारा 10 या धारा 11 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, जब तक कि दण्डादेश भुगतने के पश्चात् उसके छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि न बीत चुकी हो;

(एच एच) भारत के किसी न्यायालय द्वारा, खण्ड (एच) के अधीन न आने वाले किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया

गया हो और दो वर्ष से अन्यून कालावधि के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया हो, जब तक कि दण्डादेश भुगतने के पश्चात् उसके छोड़े जाने से छः वर्ष की अतिरिक्त कालावधि न बीत चुकी हो; या

(एच एच एच) मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 15 सन् 1984) के किन्हीं उपबंधों के या जमाखोरी या मुनाफाखोरी के निवारण का या खाद्य या औषधि के अपमिश्रण के निवारण का उपबंध करने वाली किसी विधि के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, जब तक कि दण्डादेश भुगतने के पश्चात् उसके छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि न बीत चुकी हो।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड में,—

(क) "जमाखोरी या मुनाफाखोरी के निवारण का उपबंध करने वाली विधि" से अभिप्रेत है कोई विधि या विधि का बल रखने वाला कोई आदेश, नियम या अधिसूचना जिसमें,—

(एक) किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण का विनियमन करने;

(दो) ऐसी कीमत को, जिस पर किसी आवश्यक वस्तु का क्रय या विक्रय किया जा सकेगा, नियंत्रित करने;

(तीन) किसी आवश्यक वस्तु के अर्जन, कब्जे, भण्डारकरण, परिवहन, वितरण, व्ययन, उपयोग या उपभोग का विनियमन करने;

(चार) साधारणतः विक्रय हेतु रखी गई किसी आवश्यक वस्तु को विक्रय से रोकने का प्रतिषेध करने का उपबंध है.

(ख) "औषधि" का वही अर्थ होगा जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का सं. 23) में उसके लिए दिया गया है;

(ग) "आवश्यक वस्तु" का वही अर्थ होगा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) में उसके लिए दिया गया है;

(घ) "खाद्य" का वही अर्थ होगा जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का सं. 37) में उसके लिए दिया गया है; या

(झ) परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर की गई किसी संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई अंश (शेयर) या हित रखता है, जब तक ऐसा अंश या हित बना रहता है; या (ञ) उन समस्त करों का, जो उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें निर्वाचन या नामनिर्देशन किया जाए, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अन्त में नगरपालिका को उसके द्वारा शोध्य है भुगतान मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में दी गई मांग की सूचना के प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर नहीं कर चुका है; या

(ट) यथा स्थिति धारा 41, 41-क या धारा 35-क के अधीन अध्यक्ष या पार्षद् होने के लिए निरर्हित है ; या

(ठ) किसी ऐसे शैक्षिक संस्था का, जो परिषद् से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, वैतनिक कर्मचारी है; या

(ड) सरकारी प्लीडर है; या

(एन) उसने मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 11 के अधीन उस पर अधिरोपित किये गए प्रभार की रकम का भुगतान उक्त अधिनियम की धारा 15 में विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर न किया हो :

परन्तु खण्ड (छ), (ज) या (ट)के अधीन की कोई निरर्हता राज्य सरकार के इस सम्बन्ध में आदेश द्वारा हटाई जा सकेगी :

परन्तु यह और भी कि जैसे ही नगरपालिका शोध्यों का पूर्णतः भुगतान कर दिया जाता है खण्ड (ञ) के अधीन की निरर्हता अपने आप हट गई समझी जाएगी.

स्पष्टीकरण.—किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जाएगा कि उसने खण्ड (झ) के अधीन निरर्हता इस कारण उपगत कर ली है कि वह—

(एक) किसी स्थावर सम्पत्ति के किसी पट्टे, विक्रय या क्रय में उसके लिये किए गए किसी करार में कोई अंश या हित रखता है:

परन्तु यह तब जबकि विक्रय या क्रय की दशा में राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त कर ली गई है; या

(दो) किसी नियमित या रजिस्ट्रीकृत कम्पनी या सोसायटी में अंशधारी या उसका सदस्य है; या

(तीन) किसी ऐसे समाचार पत्र में, जिसमें नगरपालिका के कार्यकलापों से सम्बन्धित कोई विज्ञापन दिया जा सकता है, अंश या हित रखता है; या

(चार) परिषद् को किसी ऐसी वस्तु के, जिसका वह नियमित रूप से व्यापार करता है, यदा-कदा किए विक्रय में अथवा परिषद् से किए गए किसी वस्तु के क्रय में, जिसका मूल्य दोनों में से किसी भी दशा में किसी भी शासकीय वर्ष में पांच सौ रुपये से या ऐसी और अधिक रकम से जो दो हजार रुपये से अधिक न हो, जैसी परिषद् राज्य सरकार की मंजूरी से इस सम्बन्ध में नियम करे, अंश या हित रखता है; या

(पांच) किसी ऐसे करार का, जो—

(क) जल रेट के बदले में नियत प्रभारों का भुगतान करने; या

(ख) विशेष स्वच्छता उपकर (स्पेशल सेनीटरी सेस) के बदले में विशेष स्थानीय कर (रेट) का भुगतान करने; या

(ग) यानों या पशुओं पर कर का प्रशमन करने के लिए परिषद् के साथ किया गया है,पक्षकार है; या

(छः) उस दशा में जबकि कोई जल निकास स्कीम या जलप्रदाय (वाटर वर्क्स) स्कीम परिषद् द्वारा प्रारम्भ की गई है, किसी ऐसे करार का, जो जल निकास तथा जल संयोजन (वाटर कनेक्शन) के सन्निर्माण के लिए परिषद् के साथ किया गया है, किसी भवन या भूमि के स्वामी की हैसियत से एक पक्षकार है; या

(सात) कोई डिबेंचर धारण कराती है या परिषद् द्वारा उसकी ओर से लिये गये किसी उधार में अन्यथा हितबद्ध है; या

(आठ) परिषद् को कोई वस्तु उतनी रकम के लिए, जो किसी शासकीय वर्ष में पचास रुपए से या ऐसी और अधिक रकम से जो दो सौ रुपये से अधिक न हो जैसी परिषद् राज्य सरकार की मंजूरी से, इस सम्बन्ध में नियत करे, यदा-कदा भाड़े पर देने या परिषद् से भाड़े पर लेने में अंश या हित रखता है।

(नौ) यदि वह राज्य की विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है :

परन्तु कोई भी व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.